

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2001 (फाल्गुन 11, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रमाकांत तिवारी, राजमणि पटेल, शिवमोहन सिंह, सदस्य, रीवा जिले के उभीरा स्थित मंदिर के पुजारी की हत्या कर मूर्तियों की चोरी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल में खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री पर्वतलाल अहिरवार, मुंशीलाल, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम पिपलझोपा में आग से आदिवासियों के मकान जल कर नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री मुंशीलाल, रामचरित्र, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम भरुआ में अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, मुंशीलाल, सदस्य, खंबल नदी पर बने राणाप्रताप सागर बांध से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम फुटेरचक्र में एक महिला के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुंशीलाल, कुंवर विजय शाह, सदस्य, ग्वालियर जिले के नयापुरा ग्राम से दो युवतियों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ में अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मी में चिकित्सक की लापरवाही से एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, सिवनी जिले के लखनादौन पुलिस द्वारा एक परिवहन कर्मी की पिटाई से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री रसाल सिंह, मुन्ना सिंह, लाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम अहैती निवासी दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, मुंशीलाल, कमल पटेल, सदस्य, भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, इन्दौर के नंदा नगर से एक बालिका का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री रसाल सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के टोंडी पिछोर ग्राम की महिला सरपंच को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 3. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित  
समय

4. वर्ष 2001-2002 के अनुदानों की मांगों पर मलबान (क्रमशः)

1 घण्टा	(1) मांग संख्या - 13 मांग संख्या - 40 मांग संख्या - 52 मांग संख्या - 54	कृषि आयाकट विभाग से संबंधित व्यय कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.
2 घण्टे	(2) मांग संख्या - 8 मांग संख्या - 9 मांग संख्या - 28 मांग संख्या - 31  मांग संख्या - 35 मांग संख्या - 38 मांग संख्या - 50 मांग संख्या - 58  मांग संख्या - 60 मांग संख्या - 84	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व विभाग से संबंधित व्यय राज्य विधान मण्डल योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय पुनर्वास रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व.

5. अशासकीय संकल्प

- (1) श्री हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -  
"सदन का यह मत है कि प्रदेश में ऐसे खिलाड़ी, जो प्रदेश से जीतकर राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित होते हैं, को भी प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवा में आरक्षण एवं अन्य सुविधायें जो राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रदान की जाती हैं वह, उपलब्ध कराई जावें."
- (2) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -  
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय."
- (3) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -  
"सदन का यह मत है कि विधायकों को दी जाने वाली विधायक निधि राशि रुपये 20 लाख को बढ़ाकर रुपये 1 करोड़ की जाय."

1घण्टा  
15 मि.

भोपाल :  
दिनांक : 1 मार्च, 2001

के.पी. सिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.